संख्या-8/2016/549/छ:ना0सु0-16-45सी0डी0/05

प्रेषक,

डिम्पल वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/नियंत्रक,
समस्त नागरिक सुरक्षा जनपद,
उत्तर प्रदेश।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग **लखनऊ** **दिनांक 14 दिसम्बर, 2016**

विषय- **नागरिक सुरक्षा संगठन में वार्डेन सेवा के पदाधिकारियों के नवीनीकरण एवं सेवा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1066/छ:ना0सु0-15-45सी0डी0/05 दिनांक 15-01-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों के नवीनीकरण की प्रक्रिया वस्तुपरक बनाये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1432/अनु0-1/89/2014 दिनांक 18-09-2015 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुरूप नवीनीकरण का निर्णय नियमानुसार ससमय करने के निर्देश दिये गये हैं।

2- उक्त के अतिरिक्त सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 15-01-2016 के माध्यम से यह भी निर्देश दिया गया है कि वार्डेन सेवा के चिन्हित पदों यथा-(क) चीफ वार्डेन (ख) डिप्टी चीफ वार्डेन (ग) डिवीजनल वार्डेन (घ) डिप्टी डिवीजनल वार्डेन (च) घटना नियंत्रण अधिकारी (छ) स्टाफ अधिकारी पर लगातार नियुक्ति दो टर्म अर्थात् 06 वर्ष से अधिक के लिये नहीं किया जाय, ताकि नयी सोच, जोश व विचारधारा वाले नवयुवकों को संगठन से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सके, जिससे संगठन को नये आयाम प्राप्त हो सके। इन पदों पर कार्यरत स्वयंसेवकों को इन पदों से हटने के बाद सामान्य स्वयंसेवक बने रहने दिया जाय और 03 वर्ष के अन्तराल के बाद पुन: ऐसे पदों पर नियुक्ति का पात्र रखा जाये ताकि उनकी रूचि कोर में बनी रहे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- शासनादेश संख्या-1066/छः ना0सु0-15-45सी0डी0/05 दिनांक 15-01-2016 के प्रस्तर-2 में वर्णित उपरोक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में नागरिक सुरक्षा (संशोधन) विनियम-1973 के बिन्दु-5 (क) में विहित प्राविधानों के सन्दर्भ में पुनर्विचार किया गया, जिसमें यह प्राविधानित है कि एक अभ्यर्थी को प्रारम्भ में 03 वर्ष के अवधि के लिये कोर की सदस्यता प्रदान की जायेगी जो कि हर बार 03 वर्ष की अवधि के लिये एक से अधिक बार बढाई जा सकती है अर्थात् कोर के सदस्यों का नवीनीकरण एक से अधिक बार किया जा सकता है।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-1066/छः ना0सु0-15-45सी0डी0/05 दिनांक 15-01-2016 के प्रस्तर-2 को शिथिल करते हुए वार्डेन सेवा के स्वयंसेवकों/पदाधिकारियों की सदस्यता को एक से अधिक बार नवीनीकरण किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

5- शासनादेश संख्या-1066/छः ना0सु0-15-45सी0डी0/05 दिनांक 15-01-2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 15-01-016 के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(डिम्पल वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
2- गार्ड फाइल/नेट प्रति।

आज्ञा से,

(केशव प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।